



Neutral Citation No. - 2026:AHC:42727-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

क्रिमिनल मिस. रिट याचिका संख्या - 2489/2026

रामनरेश

----- याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

----- प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : संदेश निरंजन, श्रवन कुमार यादव

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : आशुतोष प्रताप सिंह, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता,

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता राज्य के विद्वान ,शासकीय अधिवक्ता श्री आशुतोष प्रताप सिंह के विद्वान 4 प्रतिवादी संख्या ,अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. कुछ बहस के बाद याचिकाकर्ता के विद्वान ,अधिवक्ता ने कटघरे में बयान दिया कि वे इस रिट याचिका को आगे नहीं बढ़ाना चाहते और इसे वापस लेना चाहते हैं।
3. राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता और प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता को उपरोक्त प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं है।
4. दिए गए बयान के मद्देनज़र, यह रिट याचिका वापस लिए जाने के आधार पर खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति ,अचल सचदेव) (न्यायमूर्ति ,राजीव गुप्ता)

25 फरवरी, 2026

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।